न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –60 / 2023

अनवान

1. कृष्णा उर्फ संतोष पत्नी राजेन्द पुत्री श्री चतरर्भुज, जाति नाथ, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, हाल निवासी ग्राम बलायता, तहसील अन्ता, जिला बांरा, राजस्थान ।
2. धीरज पुत्र चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. नर्बदा बाई पुत्री चतरर्भुज पत्नी श्री चौथमल जी, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी खातीखेडा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. पिंकी पत्नी हेमराज पुत्री श्री चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी थाने के सामने रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. श्रीमती मांगी बाई पत्नी बालचन्द जी पुत्री चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी संधारा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)। (मृतक)

5 (1) धनराज पिता बालचंद (पुत्र स्व. मांगी बाई), जाति नाथ, निवासी संधारा तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

5 (2) आशा पिता बालचंद (पुत्री स्व. मांगी बाई), जाति नाथ, निवासी संधारा , तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

5 (3) सुशील नाथ पिता बालचंद (पुत्र स्व. मांगी बाई), जाति नाथ, निवासी संधारा, तहसील भानपुरा, जिला मन्दसौर (म.प्र.)।

– प्रार्थी

बनाम

1. अर्जुन पिता श्री चतर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी मेन रोड़ एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान ।
2. नरेन्द्र पिता चतर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, हाल निवासी चारण बस्ती मद्रासी होटल के पास रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

3 शिवशंकर पिता चतर्भुज, जाति नाथ आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

4 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजसथान।

5. धापू बाई पत्नी चतरर्भुज, जाति नाथ, आयु बालिग, निवासी मोहना, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – श्री रईस अहमद मंसूरी प्रार्थी।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 06.05.2026

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ने आप न्यायालय श्रीमान में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा.टी.ए. का प्रस्तुत कर रखा है, लेकिन उक्त वाद पत्र के निर्णय होने में समय लगने की संभावना है, इस बीच में अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 05 वादीगण के खातेदारी हक व हिस्से की आराजी पर कब्जा कर लेगे, इसलिए वादीगण को तुरन्त रिलिफ की आवश्यकता होने से यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। ग्राम मोहना, प.ह. एकलिंगपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 74 खसरा संख्या 303, 39 मी0, 528, 696, 697,706 कुल किता 06 कुल रकबा 5.4800 हेक्टर स्थित है, जो खाते में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 3 व 05 के खातेदारी हक व अधिकार में स्थित है, तथा सभी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 का उक्त आराजी में प्रत्येक का 1 / 9 का हक व हिस्सा निहित है। दिनांक 12.06.2023 को प्रार्थी संख्या 3 हमारी कृर्षि आराजी पर हंकाई जुताई, साफ सफाई करने के लिए गये थे, वहां से लौटते वक्त मीना पत्नी अर्जुन, अर्जुन, शिवशंकर, नरेन्द्र तीनो प्रतिवादीगण एवं उनकी पत्नियां प्रमीला, श्यामा सभी हम सलाह होकर आये और मौके पर प्रार्थी संख्या 03 के साथ धक्का मुक्की की और लडाई झगडा किया और कहने लगे कि उक्त सभी भूमि पर हम अप्रार्थीगण संख्या 01 से 3 व 05 का हक है। तुम्हारा कोई हक नहीं है, हम इस पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जा करके रहेगे, और तुम्हें यहां से निकाल देगे, और जो भी बीच में आयेगा, उसे जान से मार देगे, इस प्रकार की ऐलानियां व धमकीयां अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 के पूरे परिवार द्वारा दी जा रही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत पर कब्जा करने की नियत से लड़ाई झगड़ा कर खेत पर आने जाने से रोक रहे है, जबकि अप्रार्थीगण को इसका कोई हक व अधिकार नहीं है, प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि जिसमें प्रत्येक इंच व रकबे में अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी में बराबर का हक व हिस्सा निहित है, और सभी मौके पर अपने हक व हिस्से पर ही खेती करते चले आ रहे है, परन्तु दिनांक 12.06.2023 से ही अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 के द्वारा ऐलानियां धमकीयां देने से हमारा खेत पर आना जाना भी दुर्भर कर दिया है, जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण का उक्त कृषि आराजियात पर रिकॉर्डेट खातेदारी हक व अधिकार 1/9 हिस्से में निहित है, तथा प्रार्थीगण मौके पर अपने हिस्से पर काबिज है, जिसे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का केस सुदृढ़ आधारो पर आधारित है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है, यदि अप्रार्थीगणों के हक व हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ में नहीं की जा सकेगी। अंत में प्रार्थीगण द्वारा निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 05 इस कदर की अस्थाई निषेधाज्ञा सादर फरमाई जावे कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 व 05 स्वयं अथवा अपने किसी व्यक्ति के माध्ये से प्रार्थीगण के हक व हिस्से की कृषि आराजी ग्राम मोहना की खसरा संख्या 303, 39 मी0, 528, 696, 697, 706 कुल किता 06 कुल रकबा 5.4800 हेक्टर स्थित जमीन पर ना तो स्वयं कब्जा करे, ना ही किसी अन्य के जरिये कब्जा प्राप्त करें, और प्रार्थीगण को उनके हिस्से के खेत के खसरे में बेदखल नहीं करें, तथा मौके पर यथास्थिति कायम रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत मय वकालतनामा प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थी ने दिनांक 06.09.2023 को उपस्थिति देने से इन्कार किया गया। पुनः सूचनार्थ अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को नोटिस प्रोसेस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

इस दौरान वादी संख्या 02 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 एवं धारा–151 का पेश किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी संख्या 02 का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 05 के रूप में अंकित किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा पारित हुए। वादीगण द्वारा पत्रावली में संशोधित वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। संशोधित प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी संख्या 02, 03, 05 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. बिल्लू ने वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 05 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. बिल्लू ने पैरवी करने से इन्कार किया गया। पुनः न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 02,3,5 को एकतरफा कार्यवाही की गई है। पेरोकार सरकार ने न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में पेरोकार सरकार एक फॉर्मल प्रार्टी होने से जवाब पेश करने से इन्कार करने का निवेदन किया गया। इनके निवेदन पर पेरोकार सरकार का जवाब बन्द किया जाता है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस सुनाई। प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी रिकॉर्ड की कृषि भूमियां ग्राम मोहना, प.ह. एकलिंगपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 74 खसरा संख्या खसरा संख्या 303, 39 मी0, 528, 696, 697,706 कुल किता 06 कुल रकबा 5.4800 हेक्टर स्थित है, जो खाते में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 3 व 05 के खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है तथा मौके पर भूमियों का बंटवारा होकर दोनों अपने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु उक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड में बंटवाडा नही होने से विपक्षीगण प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर हकाई जुताई कर अनावश्यक परेशान कर रहे है जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम मोहना, प.ह. एकलिंगपुरा, भू.अ.नि. क्षेत्र एकलिंगपुरा, तहसील रावतभाटा, की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 की खाता संख्या 74 खसरा संख्या खसरा संख्या 303, 39 मी0, 528, 696, 697,706 कुल किता 06 कुल रकबा 5. 4800 हेक्टर स्थित है, जो खाते में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01 से 3 व 05 के दर्ज रिकार्ड होकर कृषि भूमि अप्रार्थीगण व प्रार्थीगण के सहखातेदारी हक में दर्ज होने से प्रथमदृष्टया हक अप्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में अधिक है तथा अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होना प्रतित होती है। अभिलेख के परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि विवादित भूमि वर्तमान में संयुक्त खातेदारी (सहखातेदारी) की स्थिति में दर्ज है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि के सहखातेदार हैं। सहखातेदारी की स्थिति में प्रत्येक सहखातेदार का सम्पूर्ण भूमि पर संयुक्त एवं अविभाजित अधिकार होता है तथा विधिसम्मत विभाजन होने तक किसी एक सहखातेदार का पृथक एवं विशिष्ट कब्जा अधिकार स्थापित नहीं माना जा सकता। यह भी अभिलेख से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि के संबंध में सक्षम न्यायालय के समक्ष विभाजन वाद/दावा पूर्व से ही विचाराधीन है। जब तक विभाजन वाद का अंतिम निराकरण नहीं हो जाता तथा पक्षकारों के हिस्से पृथक रूप से निर्धारित नहीं हो जाते, तब तक किसी भी पक्षकार के पृथक एवं विशिष्ट अधिकार के संबंध में निष्कर्ष निकालना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य अथवा विधिक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर एकल एवं पृथक अधिकार स्थापित हो चुका है अथवा विभाजन कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप, धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन निरस्त/खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को सुनाया गया।

(डॉ.कृति व्यास) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official